छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 28/2022/परीक्षा/दिनांक 26/11/2022 प्रकाशन की तिथिः 30/11/2022

:: विज्ञापन ::

राज्य सेवा परीक्षा - 2022

प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 12/02/2023 पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तथा अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक

मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11,12,13 एवं 14 मई 2023

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01/12/2022 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 20/12/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. **राज्य सेवा परीक्षा–2022** हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. **राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2022** के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **01/12/2022** को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक **20/12/2022** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **21/12/2022** मध्यान्ह 12:00 बजे से **दिनांक 22/12/2022** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **23/12/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 24/12/2022** रात्रि **11:59** बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/– (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। **(देखे विज्ञापन कंडिका 19)**
7. वर्ग (केटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं/विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014** (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम–2008 कहा जायेगा) के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **12 फरवरी 2023** को आयोजित की जाने वाली **"प्रारंभिक परीक्षा"** के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 के **परिशिष्ट–एक** में परीक्षा योजना, **परिशिष्ट–दो** में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, **परिशिष्ट–तीन** में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं **परिशिष्ट–चार** में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम–2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

क्रमशः